



# कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा



जिला – कबीरधाम (छ.ग.)

इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

फोन नं 07741 299124, www.kvkkawardha.org ई-मेल. kvkkawardha@yahoo.in

क./व.वै.एवं प्र./कृ.वि.के/2021-22/ 848

कवर्धा, दिनांक: 15/12/2021

## आदेश

चयन समिति की अनुशंसा एवं अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थी को वाहन चालक के पद पर संविदा के माध्यम से निश्चित वेतन रू. 14200/- प्रतिमाह पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी पहले हो तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित (कालम न. 04) पदस्थापना स्थल पर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।


क्रं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
(01)	(02)	(03)	(04)
01	श्री जगनंदन पिता श्री श्रीराम, ग्राम – एरमशाही पोष्ट – घुरसेना तहसील – नवागढ़, जिला – बेमेतरा (छ.ग.) 491340	UR	कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा

संविदा नियुक्ति की शर्त :-

- अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर्तव्य पर मय प्रमाण-पत्रों (शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र) के साथ उपस्थित होना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में संलग्न किये गये कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज तथा दी गई जानकारी भविष्य में यदि असत्य पायी जाती है, तो नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।
- उभयपक्षों द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन-भत्ता भुगतान/जमा करना होगा।
- अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थिति के समय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला सिविल सर्जन से शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र में शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर संबंधित की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
- आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी से जाति के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र भराया जावेगा। संबंधित अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेगी एवं संबंधित को प्रदत्त लाभ व सुविधाओं पर व्यय की गई राशि वसूल की जावेगी तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रवृत्त कानूनों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- संबंधित का पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन में पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टीप पाये जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।
- अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी।
- अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।



9. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01-01 वर्ष कर 02 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 03 वर्ष से अधिक के लिए नहीं की जावेगी।
10. संविदा पर नियुक्ति अभ्यर्थी नियमतीकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
11. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./डी.ए. प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन/राज्य शासन के मण्डल निगम/आयोग/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना/कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरुद्ध आहरित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टी.ए./डी.ए. के समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे।
12. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जावेंगे।


  
 45/12/2021

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख  
 कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा  
 जिला-कबीरधाम (छ.ग.)  
 कवर्धा, दिनांक: ...../12/2021

पृ. क्र./व.वै.एवं प्र./कृ.वि.के/2021-22/

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

01. कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
02. निदेशक, अटारी जोन -9, जबलपुर (म.प्र.)
03. निदेशक विस्तार सेवाए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
04. निदेशक अनुसंधान सेवाए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
05. लेखनियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
06. माननीय कुलपति जी के निज सहायक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
07. संबंधित :- श्री जगनंदन पिता श्री श्रीराम, ग्राम - एरमशाही पोष्ट -घुरसेना तहसील - नवागढ़, जिला - बेमेतरा (छ.ग.)
08. लेखा/स्थापना शाखा, कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा (छ.ग.)
09. व्यक्तिगत नस्ती/मास्टर फाईल।

  
 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख  
 कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा